

अधिकारियों व वरिष्ठ अधीनस्थों की शक्तियाँ व कर्तव्य

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक

ए:- उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों (एस.ओ.पी) के अनुसार कार्य करना व उनका उपयोग करना
बी:- सम्पूर्ण मंडल पर गाडी संचालन कार्य की निगरानी रखना
सी:- सुचारू गाडी संचालन के लिए की सुविधा के लिए अन्य मंडलों/विभागों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखना ।
डी:- मुख्यालय के अधिकारियों से गाडी संकाला की स्थिति का मुल्यांकन करना।

मंडल परिचालन प्रबन्धक

ए:- उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों (एस.ओ.पी) के अनुसार कार्य करना व उनका उपयोग करना
बी:- सम्पूर्ण मंडल पर गाडी संचालन कार्य की निगरानी रखना
सी:- सुचारू गाडी संचालन के लिए की सुविधा के लिए आसपास के मंडलों/विभागों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखना ।
डी:- संरक्षा निरीक्षणों पर करीबी निगरानी ।
ई:- स्टेशन संचालन नियम

सहायक परिचालन प्रबन्धक /गुड्स

ए:- उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों (एस.ओ.पी) के अनुसार कार्य करना व उनका उपयोग करना
बी:- सम्पूर्ण मंडल पर गाडी संचालन कार्य की निगरानी रखना
सी:- सुचारू गाडी संचालन के लिए की सुविधा के लिए आसपास के मंडलों/विभागों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखना ।
डी:- मंडल पर मालगाडी संचालन पर करीबी निगरानी ।
ई:- रेक प्रबन्धन व टर्मिनल प्रबन्धन पर नजदीकी निगरानी रखना

सहायक परिचालन प्रबन्धक /गुड्स

ए:- उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों (एस.ओ.पी) के अनुसार कार्य करना व उनका उपयोग करना
बी:- सम्पूर्ण मंडल पर गाडी संचालन कार्य की निगरानी रखना
सी:- सुचारू गाडी संचालन के लिए की सुविधा के लिए आसपास के मंडलों/विभागों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखना ।
डी:- कोचिंग संचालन सूचना प्रणाली (सी.ओ.आई.एस.) की बारीकी से निगरानी ।
ई:- गाडियों की समय पालन की निगरानी रखना

मुख्य नियंत्रक (इंचार्ज)

ए. :-माल व कोचिंग संचालन की निगरानी रखना
बी:- फॉइस,(एफ.ओ.आई.एस.) कॉइस (सी.ओ.आए.एस)व पाम (पी.ए.एम.) पर फीडिंग पर फीडिंग सुनिश्चित करना।
सी:- दुर्घटना के मामले में सभी सम्बन्धितों को समय पर सूचना देना व दुर्घटना लॉग बुक व्यवस्थित रखना सुनिश्चित करना।
डी:- नियंत्रण कार्यालय का समग्र पर्यवेक्षण ।

स्टेशन मास्टर

ए:- गाडी संचालन का पर्येक्षण व कर्मचारी स्टेशन संचालन नियम के अनुसार कार्य करे, यह सुनिश्चित करना ।
बी:- गाडियों का निर्बाध संचालन व समय पालन सुनिश्चित करना।
सी:- किसी भी असामान्य घटना / विफलता के बारे में मंडल अधिकारियों / नियंत्रकों को अविलम्ब सूचना देना ।
डी:- यात्री शिकायतों को प्राथमिकता देना ।
ई:- स्टेशन पर सक्षम कर्मचारी कार्यरत है यह सुनिश्चित करना।
एफ:- स्टेशन का रेकॉर्ड ठीक से हो यह सुनिश्चित करना
जी:- स्टेशन पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही पर निगरानी रखना।